न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 14 / 2019

1. सुमेरसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह राजपूत जाति राजपुत निवासी ग्राम कानपुरा ग्राम पंचायत बेगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

———————प्रार्थी

ब ना म

1. नाथूसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जी जाति राजपूत
2- मनोहरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जी जाति राजपूत
3. भैरूसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जी जाति राजपूत
4. ईश्वरसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जी जाति राजपूत
5. भोपालसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जी जाति राजपूत
6. शंकरसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह जी जाति राजपूत
   सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कानपुरा ग्राम पंचायत बेगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एवं धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 24.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा कानपूरा पटवार क्षेत्र कानपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगलियावास तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खसरा संख्या 381 रकबा 03–05–00 बीघा भूमियां प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण द[illegible]र होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अ[illegible] कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस [illegible] गई जिनके [illegible] कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में [illegible]वली का अवलोकन [illegible] गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा कानपूरा पटवार क्षेत्र कानपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगलियावास तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खसरा संख्या 381 रकबा 03–05–00 बीघा भूमियां प्रार्थी के नाम दर्ज है।

................लगातार

सुमेरसिंह बनाम नाथूसिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 14/2019

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा कानपूरा पटवार क्षेत्र कानपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगलियावास तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खसरा संख्या 381 रकबा 03–05–0 बीघा भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested